विविध बैंक प्र0सं0 121/2017 पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय 7 भीखाएजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली, शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नई कृषि मण्डी श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1–मैसर्स विजय लक्ष्मी एण्ड कम्पनी प्रोपराईटर लक्ष्मी देवी मित्तल दुकान न0 81 न्यू क्लॉथ मार्केट, श्रीगंगानगर (ऋणी एवं बंधककर्ता) 2–लक्ष्मी देवी मित्तल धर्म पत्नि श्री विजय मित्तल निवासी एफ 1 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर (ऋणी एवं बंधककर्ता) 3–विजय मित्तल पुत्र श्री जगन नाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर (जमानती) 4–मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर (जमानती)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>29.01.2018</u>

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 15.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स विजय लक्ष्मी एण्ड कम्पनी के खाता नम्बर 1940008700003422 को ऋण सुविधा के रूप में 80,00,000/–रूपये (अखरे रूपये अस्सी लाख मात्र) ऋण दिनांक 29.07.2011 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी जमानती मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर ने चक 6ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 44 के किला न0 24, एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 60 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है व अप्रार्थी जमानती विजय मित्तल पुत्र श्री जगननाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर ने भूखण्ड संख्या एफ–1–सी आनन्द विहार, श्रीगंगानगर साईज 30'इन्टू60' वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण अप्रार्थी ऋणी मैसर्स विजय लक्ष्मी एण्ड कम्पनी का ऋण खाता दिनांक 30.06.2017 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी मैसर्स विजय लक्ष्मी एण्ड कम्पनी की ओर दिनांक 30.06.2017 तक ऋण राशि 63,46,137.47/–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 18.07.2017 को रजि0 डाक से भिजवाये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जमानती मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा बधंक रखी गयी सम्पत्ति चक 6 ई छोटी मुरब्बा नम्बर 44 के किला न0 24, एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 60 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है व अप्रार्थी जमानती विजय मित्तल पुत्र श्री जगननाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा बधंक रखी गयी सम्पत्ति भूखण्ड संख्या एफ–1–सी आनन्द विहार, श्रीगंगानगर साईज 30'इन्टू60' वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स विजय लक्ष्मी एण्ड कम्पनी के खाता नम्बर 1940008700003422 को ऋण सुविधा के रूप में 80,00,000/–रूपये (अखरे रूपये अस्सी लाख मात्र) ऋण दिनांक 29.07.2011 को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी जमानती मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर ने चक 6ई छोटी मुरब्बा नम्बर 44 के किला न0 24, एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 60 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है व अप्रार्थी जमानती विजय मित्तल पुत्र श्री जगननाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर ने भूखण्ड संख्या एफ–1–सी आनन्द विहार, श्रीगंगानगर साईज 30'इन्टू60' वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखे। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 18.07.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी 1–मैसर्स विजय लक्ष्मी एण्ड कम्पनी प्रोपराईटर लक्ष्मी देवी मित्तल दुकान न0 81 न्यू क्लॉथ मार्केट, श्रीगंगानगर 2–लक्ष्मी देवी मित्तल धर्म पत्नि श्री विजय मित्तल निवासी 1 एफ आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर 3–विजय मित्तल पुत्र श्री जगन नाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर 4–मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध रजि0 ए.डी. रसीद प्रतियों एवं प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार नोटिस प्राप्ति के बावजूद

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी 1—जमानती मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर 2—जमानती विजय मित्तल पुत्र श्री जगननाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति 1—चक 6ई छोटी मुरब्बा नम्बर 44 के किला न0 24, एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 60 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवान, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है व 2— भूखण्ड संख्या एफ—1—सी आनन्द विहार, श्रीगंगानगर साईज 30'इन्टू60' वर्गुफट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय 7 भीखाएजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली, शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नई कृषि मण्डी, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण 1—जमानती मयंक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर 2—जमानती विजय मित्तल पुत्र श्री जगननाथ मित्तल निवासी एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति 1—चक 6ई छोटी मुरब्बा नम्बर 44 के किला न0 24, एफ 01 आनन्द विहार कॉलोनी श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 60 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है व 2—भूखण्ड संख्या एफ—1—सी आनन्द विहार, श्रीगंगानगर साईज 30'इन्टू60' वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर